by some State Governments for not joining this. This is, of course, new development in our relationship with the States, but we hope we will be able to carry the majority of the States with us.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : In view of the opinion expressed by the State Governments, will the Government consider the question of changing the recruitment policy of the Government to the services ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The recruitment rules, etc. are finalised in consultation with the State Governments and with the UPSC also. Therefore, whatever opinions are expressed by the State Governments, we give them the most serious consideration and adopt them to the extent possible.

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार की इस पर क्या राय है कि यह सर्विसेज आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं या स्टेट्स को छोड़ना चाहते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम लोगों की नीति बिल्कुल साफ है कि इन सर्विसेज को बनाने से सम्बन्धित जो काम हैं वह हम करते हैं, जैसे इनके नियम, कानून आदि बनाते हैं । बाद में जो अधिकारी लिये जाते हैं वह राज्य सरकारों के अन्तर्गत भेज दिये जाते हैं और वहां से बाद में वह डेपूटेशन पर सेन्टर में आते रहते हैं । इस तरह का सम्बन्ध नियमों के अधीन बनाया जाता है और वही इस में भी रखने का इरादा है ।

SHRI ANBAZHAGAN : In view of the fact that by adding more and more central services or Union services, the integration of the country is not achieved at all and in view of the fact that whenever the Central Government think of some All India Services or Union Services in subjects which are primarily State subjects, the States feel that their rights will be curtailed to that extent, will the minister tell us that the Central Government will not pursue such proposals and will drop such proposals of having All India Services for either agriculture or for some other subjects which are mainly State subjects ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is not correct to describe these services as Union Services. As I said, these are All India Services and there is a lot of difference between Union Services and All India Services. Here we take care to see that the autonomy of the States is not disturbed by this. It is our endeavour that the autonomy of the States should not be endangered or interfered with when these services are created. We do it with the fullest consent and cooperation of the State Governments and not unilaterally by ourselves.

MR. SPEAKER : This question has taken a lot of time. Next question.

दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि

*1353. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वृद्धि के बारे में भारत सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिनांक 25 मार्च, 1970 के संकल्प संख्या 27/25/68 इस्टाब्लिशमेंट (एस० सी० टी०) के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकार, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम सक्रिय कार्यवाही कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने आरक्षित पद विभागवार तथा वर्गवार भरे जा रहे हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K.S. RAMASWAMY) : (a) and (b). A statement is laid on the table of the House.

Statement

The orders contained in the Resolution of 25th March, 1970 are applicable straightaway to the Delhi Administration.

The other organisations, viz., the Delhi Development Authority, the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee are statutory bodies. The orders contained in the Resolution would not apply to them automatically. These Bodies are, however, taking necessary steps according to the prescribed procedure for adoption of these orders. The Resolution of 25th March, 1970 increasing, the percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, having been issued only about a month back, there is not expected to be any appreciable number of additional reservations for posts in the Delhi Administration during the last one month, particularly as the Resolution provides that the increases provided in the Resolution would not apply where rules for a competitive examination have already been published or where selections for posts to be filled by direct recruitment, or for posts to be filled by promotion, have already been made prior to the issue of those orders. The number of reserved post filled Departmentwise and Class--wise in the Delhi Administration from 24th March, 1970 to 30th April, 1970 will however be collected and laid on the Table of the House.

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो विवरण दिया गया है इसमें कहा गया है कि 25 मार्च, 1970 से 30 अप्रैल, 1970 तक दिल्ली प्रशासन में भरे गये आरक्षित पदों की विभागवार तथा वर्गवार संख्या एकत्रित की जाएगी तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्रसासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की स्थिति 25 मार्च के पहले क्या थी, इसके सम्बन्ध में विवरण देंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जरूर देंगे । We shall collect that information also and lay it on the Table.

श्री राम सेवक यादव: मंत्री जी ने कहा कि सभा के पटल पर रख दिया । सभा के पटल पर क्या रखा है कि बाद को सूचना दी जायगी । संबंधित सूचना मांगी जा रही हैं कि इसके पहले क्या स्थिति थी । जब प्रश्न का जवाब ही पूरा नहीं आया, कह रहे हैं कि सूचना बाद में रख दी जायगी, तो सवाल क्या किया जाय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जो सूचना उनके पास पहुंच सकी वह उन्हों ने बता दी ।

श्री मोलहू प्रसाद : क्या मंत्री जी 25 मार्च, 1970 के पहले की स्थिति देंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कहा कि देंगे । अभी जो हमने सभा पटल पर रखा है इसमें जितने प्रश्न उठाये हैं, सब का उत्तर दिया है । केवल एक विस्तार की बात पूछी थी जिस के लिये दिल्ली नगर पालिका, डी० डी० ए०, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत विस्तृत सूचना एकत्रित करनी थी, जो हमें अभी नहीं मिल पाई है, हमने सम्बन्धित संस्थाओं को वांछित सूचना भेजने के लिये कहा, लेकिन वह नहीं आई ।

उसके बाद माननीय सदस्य ने यह पूछा कि 25 मार्च, 1970, जिस दिन हमारा यह आदेश जारी किया गया, जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया है उस आदेश के जारी होने के पहले क्या स्थिति थी यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, जिसका मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, माननीय सदस्य पहले की स्थिति जानना चाहते हैं । हमने बाद की स्थिति के बारे में जवाब में बता दिया । लेकिन माननीय सदस्य पहले की सूचना यदि चाहते हैं तो उसका विवरण संबंधित संस्थाओं से एकत्रित करके बाद में देंगे ।

श्री मोलहू प्रसाद : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस विवरण में जो कि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया

है कि अन्य संगठन अर्थात् दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका सांविधिक निकाय पर संकल्प में निहित आदेश स्वतः लागू नहीं होते हैं लेकिन इसके विपरीत समाज कल्याण विभाग की सलाहकार समिति में 17 अक्तूबर 1969 को कार्यवाही के विवरण के दौरान मंत्री महोदय द्वारा यह बतलाया गया था कि दिल्ली डेवलपमेंट एथारिटी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी आदि ने यह स्वीकार कर लिये हैं जबकि आज के मौजूदा विवरण में मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उन पर लागू नहीं होते हैं। उन का यह उत्तर भ्रामक है और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आखिर इन दोनों में से कौन सा सही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह दोनों बातें सही हैं और जरा भी भ्रामक नहीं हैं। मैंने केवल उसमें यही कहा है कि दूसरी आर्गेनाइजेशंस जोकि स्टैचुटरी बौडीज हैं उन पर यह आर्डर्स आटोमैटिकली लागू नहीं होते हैं जबकि इस रेजोलूशन में दिये हुए आर्डर्स दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पर स्ट्रेटअवे लागू हो जाते हैं। उसके अन्तर्गत जो दूसरी संस्थाएं हैं और जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनी हुई हैं उनके ऊपर यह आर्डर्स लागू करने के लिये यह आवश्यक है कि दिल्ली डेवलपमेंट एथारिटी, म्युनिसिपल कारपोरेशन आफ दिल्ली और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी आदि जो दूसरी स्टेचुटरी बौडीज हैं वह एक दिये हुए प्रासीज्योर के मुताबिक इनको ऐडाप्ट करें और चुनांचे उन्होंने इन आर्डर्स को एडाप्ट भी कर लिया है और इसलिए यह आदेश उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत पेचीदा है। मैंने उपराज्यपाल महोदय श्री वीरेन्द्र प्रकाश को 28 जुलाई को पत्र लिखा। लेकिन गृह मंत्री के आदेश के बावजूद आज 8 महीने तक उनसे मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। आज तक उनके आदेश का पालन किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह क्या घपला चल रहा है और इस तरह से आई. ए. एस. को पाल रहे हैं, (**व्यवधान**) 8 महिने हो रहे हैं लेकिन गृह-मंत्री जी के आदेश का पालन उन्होंने नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि चव्हाण साहब इस के ऊपर रोशनी डालें।

श्री विद्या चरण शुक्ल: माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके बारे में मैं जरूर जांच पड़ताल करूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त: क्या यह सही है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन में तीन साल पहले हरिजनों की संख्या सर्विसेज में बहुत कम थी। अब तीन साल में नगर निगम में जो साढ़े 12 परसैंट कोटा है वह न केवल पूरा हो गया है बल्कि उस से अधिक भी हरिजनों की संख्या हो गई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय तीन साल पहले के इस सम्बन्ध के आंकड़े बतलायें कि तीन साल पहले वह कितने थे और अब कितने हैं ? क्या मंत्री महोदय उन आंकड़ों को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: यह मैं नहीं जानता कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही है या गलत। बाकी माननीय सदस्य अगर उस बारे में अलग से सवाल का नोटिस दें और अध्यक्ष महोदय उसे मंजूर कर लें तो मैं उसका अवश्य उत्तर दे दूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने केवल पूछा हैं कि तीन साल पहले क्या आंकड़े थे और अब क्या हैं ? He is evading the issue. It is a valid question. Let him give the figures.

He should give both the figures.

MR. SPEAKER : He will look into it. It appears that the representatives of both

the governments are replying to each other.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने तीन साल के और अब के आंकड़े रखने को कहा है तो उसे रखने में मंत्री महोदय आखिर इस कदर क्यों हिचकिचा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप बाकायदा उसके लिये अलग से सवाल रखिये और स्पीकर साहब द्वारा उसके एडमिट किये जाने के बाद मैं आपको जवाब दूंगा । यह एक कायदे के अन्दर देना होता है ।

SHRI BAL RAJ MADHOK : He could have said that he will collect the material and place it before the House.

MR. SPEAKER : That he could have done.

श्री कंवर लाल गुप्त : आखिर यह आंकड़ों वाली सूचना देने को मंत्री महोदय तैयार क्यों नहीं हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं तैयार हूं लेकिन जो उसका कायदा है उसके मुताबिक जवाब दूंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : दरअसल तीन साल पहले के और अब के आंकड़े मिनिस्टर साहब बतलाना इवेड कर रहे हैं ।

MR. SPEAKER : Will you please sit down or not?

SHRI BASUMATARI : We are glad and thankful to the Home Ministry that from time to time this circular has been issued not only to the Delhi Administration but to all departments. But may I know from the Home Minister categorically whether Government is contemplating the creation of some machinery to see whether this circular issued by the Government of India, the Home Ministry particularly, is being carried out or not? Why I say this is because.....

MR. SPEAKER : You need not explain this.

SHRI BASUMATARI : It is a long question and therefore I have to explain this. From the report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner it was found that the backlog and shortfall was very high and not only was it high but it was becoming higher and higher. Therefore may I know what steps the Government are going to take to fill up this gap of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services in all departments?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : A constitutional office has been created to look after this particular problem; that is, the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Apart from that, we have our sections in the Home Ministry which look after this particular matter regarding representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services. We have also formed a high-powered committee, which is chaired by the Home Minister, which also goes into this question from time to time to see whether our instructions are being properly implemented or not and whether the implementation of those instructions is fulfilling the aims that we have in our mind or not. It is reviewed from time to time. I would assure the hon. Member that we are very keen to see that not only the representation is fully given but the representation is increased from time to time and from year to year.

श्री राम चरण : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने बतलाया कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की सूचना एकत्रित करेंगे कि यह डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट की टोटल स्ट्रेंथ क्या है और उसमें शैडयूल्ड कास्टस का कितना कोटा पूरा हुआ है, कितना कोटा पूरा होने की सम्भावना है और कब तक वह पूरा हो जायगा ?

दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन में डाइरेक्टर आफ एजुकेशन के बारे में 1968 में मैंने एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री जी ने यह बतलाया कि 3700 नौकरियों में केवल 60 शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स टीचर्स हैं। इस से यह मालूम होता है कि 4500 टीचरों में शैड्यूल्ड कास्ट्स टीचर्स 100 से ज्यादा नहीं होंगे तो क्या डायरेक्टर आफ एजुकेशन को इस तरह का इंस्ट्रक्शन देंगे कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट में शैडयूल्ड कास्ट्स का कोटा पूरा करने के लिए 50 परसेंट कम से कम उनका रिक्रूटमेंट किया जाय ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है यदि माननीय सदस्य इस तरह के कोई प्रश्न का नोटिस देंगे तो मैं पूरी उसकी सूचना एकत्रित करके सदन के सामने रख दूंगा।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है मैंने बतलाया है कि हमारी जो सूचनाएं हैं वह दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन पर लागू होती हैं और हमें आशा है कि दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने उन सबको लागू किया है। बाकी शिक्षा विभाग में किस ढंग से और किस हद तक यह लागू की गई है इसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है। जैसा आपने बतलाया है कि शिक्षा मंत्री ने एक उत्तर के दौरान यह बतलाया था कि 3700 नौकरियों में केवल 60 शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के टीचर्स हैं और आपने चूंकि उस मामले को यहां पर उठाया है इसलिए मैं जरूर इसके बारे में जांच पड़ताल करूंगा।

Use of C. R. P. and B. S. F. for suppression of Naxalites

\+

*1354. SHRI SURAJ BHAN :
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI SHARDA NAND :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have directed the State Governments to make full use of the Arms Act and the Penal Code and the deployment of C. R. P. and the Border Security Force to suppress Naxalites and other violent activities in some States for political purposes;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reaction of State Governments thereto; and

(d) the strength of C. R. P. and B. S. F. deployed in West Bengal, Nagaland, Manipur, Tripura, Assam, Kerala, Kashmir and Bihar?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) to (d). While the Central Government have not issued any directives to the States, they have made available units of the C. R. P. at the request of the State Government to assist in the maintenance of public order. Attention of the State Governments concerned has also been drawn to the existing legal provision under which the specific activities of the extremists can be dealt with. It will not be in public interest to disclose the details of deployment of such armed forces of the Union in the different States and territories.

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो मौजूदा नार्मल कानून है वह नार्मल सरकमस्टान्सेज के लिए है लेकिन आज देश में नक्लवादियों की राष्ट्रविरोधी हरकतों ने एबनोरमल हालात पैदा कर दिये हैं और आज इन नक्सलवादियों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में जो पोस्टर्स लगाये गये हैं और पेम्पफलैट्स शाया किये गये हैं जिनमें कि माओ की तस्वीरें छपी रहती हैं और हमारे देश के दुश्मन नम्बर 1 माओत्से तुंग की उनमें तारीफ भी की जाती है जो कि बहुत ही आपत्तिजनक और राष्ट्रविरोधी बात है तो क्या सरकार इसके लिये आवश्यक कानून बनायेगी ताकि इस तरह की गतिविधियां अराष्ट्रीय घोषित की जा सकें और ऐसे तत्वों को मजबूती और कामयाबी से कुचलने के लिए सजाये मौत देने का कानून बनायेंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN : This is a general question which is under examination.